

भारत सरकार
नागर विमानन मंत्रालय
लोक सभा

लिखित प्रश्न संख्या : 3873

दिनांक 18 मार्च, 2021 / 27 फाल्गुन, 1942 (शक) को दिया जाने वाला उत्तर

पुरी में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा

3873. श्री रमेश चन्द्र माझी:

क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का पुरी और अन्य धार्मिक स्थलों पर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा शुरू करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो उक्त प्रयोजनार्थ राज्य-वार कितनी निधियां आवंटित और उपयोग की गई हैं;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) इसमें शामिल आधिकारिक तंत्र और नोडल अधिकारियों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है?

उत्तर

नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) (श्री हरदीप सिंह पुरी)

(क) से (ग): जनवरी 2021 में, ओडिशा के मुख्यमंत्री ने पुरी में एक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा की स्थापना करने के लिए भारत सरकार (भारत सरकार) से अनुरोध किया था, जिसके लिए राज्य सरकार ने पुरी शहर के निकट भूमि की पहचान की थी। नागर विमानन मंत्रालय, ओडिशा सरकार, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (एएआई) और नागर विमानन महानिदेशालय (डीजीसीए) के बीच इस संबंध में रीति पर कार्य करने के लिए दिनांक 12.01.2021 को चर्चा हुई। ओडिशा राज्य सरकार ने सूचित किया है कि उन्होंने पुरी में एक अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे की स्थापना के संबंध में पूर्व-व्यवहार्यता अध्ययन रिपोर्ट के लिए लगभग 14.48 लाख रुपये अनुमोदित किए हैं। एक हवाई अड्डे को एक अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे के रूप में घोषित करना यातायात क्षमता और ग्राउंड लाइटिंग सुविधाओं, इंस्ट्रूमेंट लैंडिंग सिस्टम, पर्याप्त रनवे की लंबाई, आप्रवास, स्वास्थ्य एवं पशु और पोथ संगरोध सेवाओं के प्रावधान के अलावा अंतरराष्ट्रीय उड़ानों के प्रचालन के लिए एयरलाइनों से मांग पर निर्भर करता है।

(घ): अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों सहित नए ग्रीनफील्ड हवाई अड्डों की स्थापना को 2008 में भारत सरकार (जीओआई) द्वारा जारी ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा नीति के अंतर्गत नियंत्रित किया जाता है। नीति के अनुसार, हवाई अड्डे की स्थापना के लिए, राज्य सरकारें सहित एक हवाई अड्डा डेवलपर हैं, नागर विमानन मंत्रालय (MoCA) को प्रस्ताव भेजना अपेक्षित होता है। दो चरणों की प्रक्रिया द्वारा प्रस्ताव को अनुमोदित किया जाता है अर्थात् 'स्थल क्लियरेंस' चरण एवं 'सैद्धांतिक अनुमोदन' चरण। इस नीति के अनुसार, नागर विमानन मंत्रालय (MoCA) को हवाई अड्डों की स्थापना के लिए समय-समय पर राज्य सरकारों या हवाई अड्डे के डेवलपर्स से प्रस्ताव मिलते हैं। उचित निरीक्षण के बाद, एक नए ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे के विकास के लिए स्वीकृति दी जाती है।

परियोजना के निधीयन सहित हवाई अड्डा परियोजना के कार्यान्वयन का उत्तरदायित्व संबंधित हवाई अड्डा डेवलपर का होता है।